रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221748
CG-DL-E-16092020-221748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2788]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942
No. 2788]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

का.आ. 3135(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिल के साथ सम्बद्ध मौजूदा डिस्टिलरियों की क्षमता के विस्तार सहित चीनी मिलों की तर्ज पर शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टिलरियों में विस्तार करने की दृष्टि से अधिसूचना सं. का.आ 1228 (अ), 1(16)/2018–एसपी-1 दिनांक 08.03.2019 द्वारा एक स्कीम अर्थात् – ''इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम'' अधिसूचित की थी।

अब दिनांक 08.03.2019 की उक्त अधिसूचना के पैरा 10 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने एक छोटी विंडो खोलने का निर्णय लिया है, ताकि परियोजना प्रस्तावक एक स्कीम अर्थात "इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नई स्कीम'' के अंतर्गत अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

1) परिभाषा:

शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टलरी का अर्थ होगा एक डिस्टिलरी जो किसी भी चीनी मिल अथवा इसकी किसी अन्य आनुषंगिक इकाई के साथ एकीकृत नहीं है और फ़ीड स्टॉक के रूप में शीरे पर कार्य कर रही है।

2) पात्रता:

इस स्कीम के तहत उद्यमियों को निम्नलिखित के लिए सहायता उपलब्ध होगी: -

i) मौजूदा शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टीलरियों की क्षमता में विस्तार सहित नई शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टीलरि की स्थापना के लिए।

ii) डिस्टीलरी में वाष्पन, इंसीनेरेशन प्रणाली की स्थापना करके तथा किसी डिस्टीलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा यथा अनुमोदित अन्य पद्धतियों द्वारा इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने के लिए।

iii) अपनी मौजूदा डिस्टीलरियों में इथेनोल संयंत्र लगाने, शीरा और इथेनोल भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए।

3) स्कीम के अधीन सहायता:

i) बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा प्रभारित 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट अथवा ब्याज दर की 50% राशि, जो भी कम हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिए वहन की जाएगी।

ii) उपर्युक्त 2 (i) और 2 (iii) के संबंध में इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित क्षमता के आधार पर प्रत्येक योजना के संबंध में ऋण की संस्वीकृत और संवितरित राशि पर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन की सीमा तक, ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।

4) आवेदन प्रस्तुत करना:

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए नए उद्यमि/शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टीलरियों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे एक आवेदन-सह-प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-1) में इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भेजें।

(5) आवेदनों की जांच/अनुमोदन:

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, दो समितियां अर्थात जांच समिति तथा अनुमोदन समिति का गठन करेगा। स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को जांच समिति तथा अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके पश्चात खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पात्र आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उक्त समिति परियोजना के लिए शीरे की उपलब्धता अथवा परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य मानदंड को ध्यान में रखते हुए आवेदनों की जांच करेगी।

6. स्कीम की रूपरेखा:

(i) आवेदन-सह-प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ऐसे अनुमोदित प्रस्ताव में ऋण स्वीकृत करने के संबंध में विचार करने हेतु ऋण देने वाले बैंकों को संस्तुत करेगा। बैंक/एनसीडीसी/आईआरडीए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पुनर्संरचना से संबंधित दिशा-निर्देशों सहित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अपने वाणिज्यिक मानदण्डों/नीतियों के अनुसार ऋण संस्वीकृत करने/जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ii) आवेदक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 01 वर्ष के भीतर बैंक से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो

जाएगा। इसके अलावा, बैंक से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 2 वर्ष के भीतर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।

(iii) संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते समय नए उद्यमि/शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टिलरियां इथेनोल उत्पादन में क्षमता बढ़ाने/अपग्रेड करने के लिए सरकार की मेक-इन-इंडिया स्कीम के साथ समभिरूपता स्थापित करने का प्रयास करेंगी।

(iv) स्कीम के अंतर्गत ऋण का संवितरण अलग खाते में किया जाएगा ताकि उक्त प्रयोजन के लिए राशि के उपयोग की मानीटरिंग आसानी से की जा सके।

(v) वित्तीय सेवाएं विभाग नोडल बैंक की नियुक्ति सहित इस स्कीम के प्रचालन के लिए बैंक/एनसीडीसी/आईआरडीए को उचित अनुदेश जारी करेगा।

7. ब्याज छूट के भुगतान की रूपरेखा

i) स्कीम के अधीन ब्याज छूट का भुगतान एक वर्ष के स्थगन काल सहित 5 वर्षों के लिए किया जाएगा।

ii) सरकार द्वारा ब्याज छूट का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा, यदि शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टिलरी का खाता मानक है और खाता एनपीए होने तक यह उपलब्ध नहीं होगा। नए उद्यमि/शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टिलरी चूक की अवधि के लिए मूलधन के साथ दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अलावा, बैंक/एनसीडीसी/आईआरडीए को चूककर्ता ऋणग्राहियों के विरुद्ध बैंकिंग मानदंडों तथा लागू बैंकिंग विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी।

iii) शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टिलरियों के पास अधिशेष नकद प्रवाह के मामले में बैंक/एनसीडीसी/आईआरडीए द्वारा शीघ्र भुगतान लेने का निर्णय लिया जा सकता है और ऋण खाते के प्रति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज छूट संबंधी देयता तदनुसार कम हो जाएगी।

iv) वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नियुक्त नोडल बैंक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ब्याज छूट की राशि त्रैमासिक आधार पर अग्रिम तौर पर जारी करेगा। अग्रिम तौर पर भुगतान की गई ब्याज छूट पर अर्जित ब्याज का समायोजन आगामी त्रैमासिक किस्त में किया जाएगा।

v) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नाबार्ड से परामर्श करके ब्याज छूट के निर्गम की रूपरेखा तैयार करेगा।

8. परियोजना पूर्ण होने का प्रमाण पत्र:

संबंधित नए उद्यमि/शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टीलरियां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि इस प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रस्तावित विधि के माध्यम से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्राप्त कर लिया गया है। नई डिस्टिलरियों की स्थापना अथवा मौजूदा डिस्टिलरियों के विस्तार के लिए ऋण लेने वाली शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टीलरियां संबंधित राज्य के उत्पाद शुल्क आयुक्त तथा चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें क्रमशः प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी की स्थापना कर दी गई है और इनमें उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है अथवा मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार पूर्ण कर लिया गया है और इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर शुरू कर दिया गया है। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

9. उपयोग प्रमाण पत्र:

चीनी मिलें परियोजना पूर्ण होने के तीन माह के भीतर संस्वीकृत ऋण की राशि के संबंध में संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त, उत्पाद आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। राज्य/गन्ना आयुक्त ऋण के उपयोग की मानीटरिंग भी करेंगे। उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

10. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी समय इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।

[फा.सं. 1(10)/2018-एस पी-1]

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध-1

इथेनोल उत्पादन के संबंध में जीरों लिक्विड डिस्चार्ज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ईवैपोरेटर तथा इंसीनेरेशन बॉयलर की स्थापना करने और डिस्टीलेशन कॉलम लगाना तथा भंडारण क्षमता बढ़ाना।

भाग-क स्टैंड एलोन डिस्टीलरियों का संक्षिप्त ब्यौरा (केवल मौजूदा मोलास आधारित स्टैंड-अलोन डिस्टलरी वाले उद्यमियों के लिए)		
क्र.सं.	**विवरण**	
1.	मौजूदा मोलास आधारित स्टैंड-अलोन डिस्टीलरी का नाम, पता, ई-मेल/दूरभाष संख्या का ब्यौरा	
2.	मौजूदा एल्कोहाल उत्पादन क्षमता (केएलपीडी में)	
3.	मौजूदा डिस्टलरी के विस्तार के मामले में, जोड़े जाने की क्षमता का विवरण।	
4.	क्या मौजूदा डिस्टिलरियों के साथ इथेनॉल उत्पादन उपकरण भी स्थापित किए गए हैं। (यदि हाँ, तो इथेनॉल उत्पादन क्षमता का ब्यौरा भी दीजिए)	
5.	जीरों लिक्विड डिस्चार्ज प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित प्रणाली (इन्सीनेरेशन बॉयलर अथवा जैव-खाद पद्धति)	
6.	क्या प्रस्तावित जीरों लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली के साथ रिवर्स ऑस्मोसिस, ईवैपोरेटर और संघनन पॉलिशिंग इकाई की स्थापना का भी प्रस्ताव है।	
7.	यदि इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना का प्रस्ताव है, तो प्रस्तावित बॉयलर की क्षमता और कार्यकारी दबाव का ब्यौरा दीजिए।	
8.	मौजूदा डिस्टीलरी में प्रति वर्ष सामान्य कार्य दिवस	
9.	जीरों लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली की स्थापना के बाद कार्य दिवस की प्रस्तावित संख्या	

10.	पिछले तीन वर्षों के दौरान मौजूदा डिस्टीलरी में प्रति वर्ष उपयोग की गई शीरे की औसत मात्रा।	
11.	क्या केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से अनुमति प्राप्त की गई है, यदि हाँ, तो कृपया एक वर्ष में कार्य दिवस की अनुमोदित संख्या बताएं।	
12.	जीरों लिक्विड डिस्चार्ज को प्राप्त करने के लिए इन्सीनेरेशन बॉयलर अथवा केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रस्तावित विधि के लिए अनुरोध की गई वित्तीय सहायता।	
13.	इथेनॉल संयंत्र और भंडारण क्षमता के लिए अनुरोध की गई सहायता	
14.	प्रस्तावित क्षमता के विस्तार के लिए सहायता का अनुरोध	
15.	अनुरोध की गई कुल सहायता (कॉलम संख्या 12, 13 तथा 14 का योग)	
16.	ऋण देने वाले बैंक का नाम (कृपया अधिकतम तीन बैंकों के नाम बताएं)	
17.	जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (किलोलीटर में) की स्थापना के बाद (i) अल्कोहल और (ii) इथेनॉल का अनुमानित उत्पादन अलग से दर्शाएं।	
18.	जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली/इथेनॉल कॉलम/इथेनॉल भंडारण क्षमता की स्थापना के बाद इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख।	

भाग-ख प्रस्तावित नई शीरा आधारित स्टैंड एलोन डिस्टीलरियों का संक्षिप्त ब्यौरा (नए उद्यमियों और मोलास आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरी वाले उद्यमियों के लिए)		
क्र.सं.	**विवरण**	
1.	प्रस्तावित नए डिस्टिलरी का नाम, पता, ई-मेल/दूरभाष संख्या का ब्यौरा	
2.	प्रस्तावित डिस्टिलरी की शराब उत्पादन क्षमता (केएलपीडी में) और प्रति वर्ष सामान्य कार्य दिवस	
3.	प्रस्तावित संयंत्र की इथेनॉल उत्पादन क्षमता (केएलपीडी में)	
4.	क्या नया संयंत्र मौजूदा डिस्टिलरी के परिसर में ही प्रस्तावित है (यदि नहीं, तो कृपया मौजूदा डिस्टिलरी से इसकी दूरी बताएं)।	
5.	प्रस्तावित इथेनॉल उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष शीरे की आवश्यकता।	

6.	जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (इन्सीनेरेशन बॉयलर अथवा केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विधि) प्राप्त करने के लिए स्थापना हेतु प्रस्तावित प्रणाली।	
7.	जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली सहित कुल अनुमानित परियोजना लागत	
8.	अनुरोध की गई वित्तीय सहायता का	
9.	ऋण देने वाले प्रस्तावित बैंकों के नाम (अधिकतम 3 बैंकों के नाम दर्शाए जा सकते हैं)।	
10.	परियोजना के पूरा होने और इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख।	

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2020

S.O. 3135(E).—Whereas the Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and to extend financial assistance to molasses based standalone distilleries on lines similar to that extended to distilleries attached with sugar mills, notified the following scheme namely- "Scheme for extending financial assistance to molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity"- vide notification No.S.O.1228(E), 1(16)/2018-SP-I dated 08.03.2019.

Now in pursuance of para 10 of the said notification dated 08.03.2019, Central Government has decided to open a small window so that project proponents can submit their applications under the scheme, namely- " New Scheme for extending financial assistance to molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity"

(1) Definition -

Molasses based standalone distillery shall mean a distillery not integrated with any sugar mill or its any other ancillary unit and functioning on molasses as feed stock.

(2) Eligibility:-

Assistance under the Scheme shall be available to the enterpreneurs:-

i. To set up new molasses based standalone distilleries including expansion of the capacity of the existing molasses based stand alone distilleries.

ii. For increasing ethanol production by installing evaporation, incineration systems and other methods as approved by the Central Pollution Control Board (CPCB) for achieving Zero Liquid Discharge (ZLD) in a distillery.

iii. For adding ethanol plants, molasses and ethanol storage capacities with their existing distillery.

(3) Assistance under the Scheme :

i) Interest subvention @ 6% per annum or 50% of rate of interest charged by banks/National Cooperative Development Corporation (NCDC)/ Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA), whichever is lower, on the loans to be extended by banks/NCDC/IREDA, shall be borne by the Central Government for five year.

ii) Interest subvention under the scheme in respect of 2(i) to 2(iii) above shall be provided on loan amount sanctioned and disbursed in respect of each project based on the proposed capacity, limited to the in-principle approval accorded by DFPD.

(4) Submission of application :

For availing assistance under the Scheme, the new enterpreneurs/molasses based stand alone distilleries would be required to submit an application-cum proposal in the prescribed Proforma (Annexure-I) to the Chief Director (sugar), Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution (DFPD), Krishi Bhawan, New Delhi within 30 days from the date of notification of the scheme.

(5) Appraisal/Approval of applications:

DFPD will constitute two Committees viz. Screening Committee and Approval Committee. The proposals received under the Scheme would be placed before Screening Committee and Approval Committee and thereafter in-principle approval would be accorded by DFPD to the eligible applicants. The said Committees shall scrutinize the applications keeping in view the parameters as deemed necessary to assess the viability of the project.

(6) Modalities of the Scheme:

i) After according in-principle approval to the applications-cum-proposals, DFPD will recommend such approved proposals to the lending banks for considering sanction of loan. Banks/NCDC/IREDA would be at liberty to sanction/release the loan as per their commercial norms/policies and in compliance with regulatory guidelines, including the restructuring guidelines, as notified by RBI from time to time.

ii) The applicant should get the loan disbursed from the bank within one year from the date of in principle approval of DFPD, failing which the in principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within two years from the date of disbursement of first instalment of loan from bank.

iii) While implementing their respective projects, the new enterpreneurs/molasses based stand alone distilleries shall strive to seek convergence with the Make in India scheme of the Government for capacity addition/ up-gradation in ethanol production.

iv) The disbursement of loan under the scheme shall be in a separate account so that the utilization of the money for the said purpose is easily monitored.

v) The Department of Financial Services (DFS) will issue suitable instructions to the banks/NCDC/IREDA to operationalise the scheme including appointment of a nodal bank.

(7) Modalities of payment of interest subvention:-

i) Payment of interest subvention on loan amount under the scheme will be limited to only 5 years including one year moratorium period.

ii) The benefit of interest subvention will be provided by the Government only if account of molasses based stand alone distilleries is Standard and will not be available as long as account is NPA. The new entrepreneurs/molasses based stand alone distilleries will be responsible for repayment of interest including penal interest for the period of default along with the principal. Further, banks/NCDC/IREDA will be free to take necessary action against the defaulting borrowers as per banking norms and applicable regulatory guidelines.

iii) In the event of surplus cash flow with the molasses based stand alone distilleries, accelerated payments may be decided by the bank/NCDC/IREDA and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced.

iv) The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on quarterly basis in advance to the nodal bank as appointed by DFS. The interest earned on the interest subvention paid in advance shall be adjusted in the next quarterly instalment.

v) DFPD will work out the modalities of release of Interest Subvention in consultation with NABARD.

(8) Project Completion Certificate-

The concerned new entrepreneurs/molasses based stand alone distilleries shall submit a certificate duly verified by the Central Pollution Control Board certifying that zero liquid discharge has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. The molasses based stand alone distilleries availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit a certificate duly verified by the Excise Commissioner of the State concerned and the

Chartered Engineer certifying respectively that the new distillery has been installed and has commenced production or expansion of the existing distillery has been completed and enhanced production of ethanol has commenced. Any failure to submit such certificates shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(9) Utilization Certificate:

The concerned molasses based stand alone distilleries shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount within three months of the completion of the project, duly verified by the respective Sugar/Cane Commissioners, Excise Commissioner or any other authority designated by the State Government certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. The said authorities shall also monitor the utilization of the loan. Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(10) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, at any time modify any of the provisions of this Scheme.

[F. No. 1(10)/2018-SP-I]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

Application cum proposal from molasses based stand-alone distilleries seeking financial assistance for installation of Evaporator and Incineration Boiler to achieve ZLD as well as addition of Distillation column and storage capacity for Ethanol Production.

Part – A : Brief details of stand-alone distilleries (only for entrepreneurs having existing molasses based stand-alone distillery)		
	Particulars	
1.	Name, address, e-mail/contact details of the existing Distillery	
2.	Existing Alcohol Production Capacity (in KLPD)	
3.	In case of expansion of existing distillery, details of capacity to be added.	
4.	Whether Ethanol Production equipments are also installed with the existing distilleries (if yes, also indicate the ethanol Production capacity)	
5.	Proposed System to be installed to achieve ZLD (Incineration Boiler or Bio-composting methods)	
6.	Whether reverse osmosis, evaporator and condensate polishing unit is also proposed for installation with the proposed ZLD system.	
7.	If incineration boiler is proposed for installation, indicate the capacity and working pressure of the proposed Boiler.	
8.	Normal working days per annum of the existing distillery	
9.	Proposed no of working days after installation of ZLD system	
10.	Average quantity of molasses per annum used in the existing distillery during last three years.	
11.	Whether permission from CPCB has been obtained, if yes, please indicate the approved number of working days in a year	
12.	Financial assistance requested for incineration boiler or any other proposed method approved by CPCB for achieving ZLD	
13.	Assistance requested for ethanol plant and storage capacity	
14.	Assistance requested for expansion of proposed capacity	
15.	Total assistance requested (sum of column No 12+13+14)	

16.	Name of the lending bank (please indicate a maximum of three banks)	
17.	Indicate separately the estimated production of i. alcohol and ii. ethanol per annum after installation of ZLD (in kl)	
18.	Expected date of commencement of ethanol production after installation of ZLD system/ethanol column/Ethanol Storage capacity	

Part- B : Brief requirement of proposed new molasses based stand-alone distillery (for new entrepreneurs and entrepreneurs having molasses based standalone distillery)		
	Particulars	
1	Name, address, e-mail/contact details of the proposed new distillery.	
2	Alcohol production Capacity of the proposed distillery(in KLPD) and normal working days per annum	
3	Ethanol Production Capacity of the proposed plant(in KLPD)	
4	Whether new plant is proposed in the same premises of existing distillery (if not, please indicate its distance from the existing distillery)	
5	Requirement of molasses per annum to achieve the proposed ethanol production capacity	
6	Proposed system to be installed to achieve ZLD (Incineration Boiler or any other method approved by CPCB be indicated)	
7	Total estimated project cost including ZLD system	
8	Financial assistance requested	
9	Name of the proposed lending Banks (A maximum of name of 3 Banks may be indicated)	
10	Expected date of completion of the project and commencement of ethanol production	

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2020

का.आ. 3136(अ).—केंद्रीय सरकार इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पैट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना सं. 3523 (अ) द्वारा एक स्कीम अर्थात् – 'इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी नयी स्कीम' अधिसूचित की थी, जिसमें तत्पश्चात क्रमशः दिनांक 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 और 20.05.2020 अधिसूचना सं. का.आ. 3952 (ई), का.आ. 5219 (ई), का.आ. 47(ई), का.आ.4104(ई) और का.आ.1523(ई) द्वारा संशोधन किया गया था।

और यतः, केन्द्रीय सरकार एक छोटी विंडो खोलने का निर्णय लिया है, ताकि जो चीनी मिलें पूर्ववर्ती स्कीम के तहत अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी थीं, इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकें;

अब केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित स्कीम अर्थात 'इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी नई स्कीम-2020' अधिसूचित करती है-

1) स्कीम का उद्देश्य:

स्कीम के अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा सहायता का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

i) नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करके अथवा किसी डिस्टीलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विधि अपनाकर वर्ष में मौजूदा डिस्टीलरियों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर इथेनोल उत्पादन बढ़ाने हेतु।

ii) चीनी मिलों के साथ संबद्ध मौजूदा डिस्टिलरियों की क्षमता के विस्तार सहित चीनी मिलों के साथ संबद्ध नई डिस्टीलरियों की स्थापना करके इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु।

2) पात्रता:

i) चीनी मिलों से संबद्ध मौजूदा डिस्टीलरियां नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करके अथवा किसी डिस्टीलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विधि अपनाकर वर्ष में मौजूदा डिस्टीलरियों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर इथेनोल उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता के लिए पात्र हैं।

ii) सभी चीनी मिलें चीनी मिलों से संबद्ध मौजूदा डिस्टिलरियों की शकता में विस्तार सहित नई डिस्टीलरियों की स्थापना के लिए सहायता हेतु पात्र हैं।

iii) यह सहायता उन चीनी मिलों को उपलब्ध नहीं होगी, जिन्होने इसी परियोजना के लिटये केन्द्रीय सरककर की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत लाभ लिया है।

3) स्कीम के अधीन सहायता:

i) बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड द्वारा दिए गए ऋण पर बैंकों राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड द्वारा लिए जाने वाले ब्याज पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अथवा ब्याज दर के 50 प्रतिशत की ब्याज छूट, जो भी कम हो केंद्रीय सरकार द्वारा पांच वर्षों के लिए वहन की जाएगी।

ii) स्कीम के अधीन ब्याज छूट उपर्युक्त 2 (i) और 2 (ii) के संबंध में प्रस्तावित क्षमता के आधार पर प्रत्येक परियोजना के संबंध में स्वीकृत एवं संवितरित ऋण की राशि पर प्रदान की जाएगी।

4) आवेदन प्रस्तुत करना:

जो चीनी मिलें नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करके अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विधि अपनाकर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्राप्त करना चाहती हैं अथवा मौजूदा संयंत्र की उत्पादन क्षमता में विस्तार सहित अथवा नया डिस्टीलरी संयंत्र स्थापित करना चाहती हैं, उनके लिए यह अपेक्षित होगा कि वे आवेदन-सह-प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र **(अनुबंध-1)** में इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भेजें। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखकर आवेदनों की जांच करेगा

(क) पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडेड) ईबीपी (कार्यक्रम के अधीन इथेनॉल की अप्पूर्ति का कार्य-निष्पादन;

(ख) किसानों को दिया गन्ना मूल्य भुगतान के बारे मैं ट्रैक रिकॉर्ड ;

(ग) शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय द्वारा यथा निर्धारित पी में समय से (२-प्रपत्र) २- मासिक ऑनलाइन रेतुर्न दाखिल करना ;

(घ) परियोजना के लिए शीरे की उप्लभ्दता;

(ङ) चीनी विकास निधिलेवी चीनी मूल्य संकरण निधि की देय की स्तिथि आदि/;

(च) या परियोजना के व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए आवश्यक रूप में कोई भी अन्य पैरामीटर;

(5) आवेदनों की जांच/अनुमोदन:

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग दो समितियों अर्थात जांच समिति और अनुमोदन समिति का गठन करेगा। इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव जांच समिति और अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाएंगे एवं तत्पश्चात पात्र आवेदकों को खाद्य और सर्वजनिक्कितरण विभाग द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उक्त समितियाँ पैरा 4 में उल्लिखित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आवेदनों की जांच करेंगी।

6) स्कीम की रूपरेखा:

(i) आवेदन-सह-प्रस्ताव की जांच करने के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अपना सैद्धांतिक अनुमोदन देगा और ऐसे अनुमोदित प्रस्ताव उधार देने वाले बैंक को इस संबंध में बैंक की नीति और सरकारी मानदंडों के अनुसार ऋण स्वीकृत करने के संबंध में विचार करने हेतु संस्तुत करेगा। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पुनर्संरचना से संबंधित दिशा-निर्देशों सहित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अपने वाणिज्यिक मानदण्डों/नीतियों के अनुसार ऋण संस्वीकृत करने/जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ii) आवेदक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 01 वर्ष के भीतर बैंक से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 2 वर्ष के अंदर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।

(iii) चीनी मिलें संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते समय इथेनोल उत्पादन में क्षमता वर्धन/उन्नयन के लिए सरकार की मेक-इन-इंडिया स्कीम के साथ समभिरूपता स्थापित करने का प्रयास करेंगी।

(iv) स्कीम के अधीन ऋण का संवितरण अलग खाते में किया जाएगा ताकि उक्त प्रयोजन के लिए राशि के उपयोग की मानीटरिंग आसानी से की जा सके।

(v) वित्तीय सेवाएं विभाग नोडल बैंक के रूप में नाबार्ड की नियुक्ति सहित इस स्कीम के प्रचालन के लिए बैंकों/ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड को उचित अनुदेश जारी करेगा।

7. ब्याज छूट के भुगतान की रूपरेखा

i) स्कीम के अधीन ब्याज छूट का भुगतान एक वर्ष के स्थगन काल सहित 5 वर्षों के लिए किया जाएगा।

ii) सरकार द्वारा ब्याज छूट का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा, यदि चीनी मिल का खाता मानक है और खाता एनपीए होने तक यह उपलब्ध नहीं होगा। चीनी मिल चूक की अवधि के लिए मूलधन के साथ दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अलावा, बैंकों को चूककर्ता ऋणग्राहियों के विरुद्ध बैंकिंग मानदंडों तथा लागू बैंकिंग विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी।

iii) चीनी मिलों के पास अधिशेष नकद प्रवाह के मामले में बैंक/ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड द्वारा शीघ्र भुगतान लेने का निर्णय लिया जा सकता है और ऋण खाते के प्रति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज छूट संबंधी देयता तदनुसार कम हो जाएगी।

iv) वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नियुक्त नोडल बैंक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ब्याज छूट की राशि त्रैमासिक आधार पर अग्रिम तौर पर जारी करेगा। अग्रिम तौर पर भुगतान की गई ब्याज छूट पर अर्जित ब्याज का समायोजन आगामी त्रैमासिक किस्त में किया जाएगा।

v) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नाबार्ड से परामर्श करके ब्याज छूट के निर्गम की रूपरेखा तैयार करेगा।

8. **परियोजना पूर्ण होने का प्रमाण पत्र** – चीनी मिलों से संबंधित डिस्टिलरियाँ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आवेदन प्रस्तुत करते समय इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित विधि के माध्यम से प्राप्त कर लिया गया है। नई डिस्टिलरियों की स्थापना के लिए ऋण लेने वाली चीनी मिलें संबंधित राज्य के उत्पाद शुल्क आयुक्त तथा सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें क्रमशः प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी ने उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है और

इसकी स्थापना कर दी गई है अथवा मौजूदा डिस्टीलरी का विस्तार पूरा कर लिया गया है और इथेनोल का वर्धित उत्पादन शुरू हो गया है। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

9. **उपयोग प्रमाण पत्र:** चीनी मिलें परियोजना पूर्ण होने के तीन माह भीतर संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। राज्य/गन्ना आयुक्त ऋण के उपयोग की मानीटरिंग भी करेंगे। उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

10. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा अथवा लिखित में कारण दर्ज करके इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।

[फा.सं. 1(10)/2018-एस पी-1]
सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

मौजूदा डिस्टीलरी में नए इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना करने अथवा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाने अथवा ईथनोल उत्पादन के लिए नई डिस्टिलरी की स्थापना करने अथवा मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए चीनी कारखाने से प्राप्त आवेदन

क. चीनी कारखाने का संक्षिप्त विवरण

1	चीनी कारखाने / उपक्रम / सोसाईटी / कंपनी का नाम	
2	कारखाने का संक्षिप्त नाम और प्लांट कोड	
3	कारखाने की स्थापित पेराई क्षमता	
4	चीनी कारखाने में चीनी उत्पादन शुरू होने की तिथि	
5	चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टीलरी, यदि कोई हो, की उत्पादन क्षमता	
6	क्या उपक्रम का कोई अन्य चीनी कारखाना है (अन्य समूह कारखानों का संक्षिप्त नाम और क्षमता बताएं)	
7	पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत वर्तमान और पिछले दो इथेनॉल वर्षों के दौरान इथेनॉल आपूर्ति का निष्पादन:	
	(i) ओएमसी द्वारा मांग की गई इथेनॉल की मात्रा (वर्षवार)	
	(ii) मांग की गई मात्रा के प्रति आपूर्ति की गई इथेनॉल की मात्रा (वर्षवार)	
८	गन्ना मूल्य भुगतान का निष्पादन	
	I. 2019-20 चीनी मौसम के दौरान गन्ने की खरीद के लिए देय कुल गन्ना मूल्य II. चीनी मौसम में खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान -2019-2020 किया गया कुल गन्ना मूल्य III. 2019-2020 चीनी मौसम और इसके पहले के मौसमों के लिए लंबित गन्ना बकाया, यदि कोई हो (कृपया बकाया राशि मौसम-वार दर्शाएँ)	

9	क्या मासिक प्रोफ़ार्मा पी-2 ऑनलाइन दर्ज किया गया है (यदि हाँ, तो किस महीने तक)	
10	चीनी विकास निधि/लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि की बकाया राशि की स्थिति, यदि कोई हो।	

ख. किसी डिस्टीलरी में इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना करने अथवा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाने के लिए चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टिलरी से संबंधित सूचना

1.	प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बॉयलर की क्षमता/ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अपनाने हेतु प्रस्तावित किसी अन्य विधि का ब्यौरा।	
2.	प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बॉयलर का वर्किंग प्रेशर।	
3.	क्या सीपीसीबी की अनुमति प्राप्त की गई है, यदि हां, तो मौजूदा डिस्टीलरी के लिए एक वर्ष में प्रचालन दिनों की संख्या।	
4.	इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता/ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना (शुल्क, अधिभार और स्थापना लागत आदि सहित)। कृपया मद-वार ब्यौरा प्रस्तुत करें।	
5.	अग्रणी बैंक का नाम।	
6.	क्या इसी परियोजना के लिए चीनी विकास निधि सहायता का लाभ उठाया गया है।	
7.	इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के बाद प्रचालन के प्रस्तावित दिन/ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना	
8.	नए इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के बाद इथेनॉल का अतिरिक्त उत्पादन/ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना ।	
9.	समूह कंपनी की मौजूदा चीनी मिलों में शीरे का उत्पादन (कृपया इकाई-वार बताएं)	
10.	नए इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के लिए प्रस्तावित समय सीमा/ ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना ।	
11.	इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के बाद इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख/ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना	
12.	क्या प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बॉयलर/ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाना स्वदेशी स्रोत से खरीदे गए हैं (यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं)।	

ग. मौजूदा चीनी मिल के साथ नई डिस्टीलरी की स्थापना/मौजूदा डिस्टीलरी के विस्तार से संबंधित जानकारी

1.	केएलपीडी में प्रस्तावित डिस्टीलरी की क्षमता (नयी/विस्तार)	
2.	क्या जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के साथ नई डिस्टीलरी की स्थापना /मौजूदा डिस्टिललेरी के विस्तार का प्रस्ताव है।	
3.	मूल कीमत तथा लागू करों आदि सहित नई डिस्टीलरी/ मौजूदा डिस्टिललेरी के विस्तार की परियोजना हेतु मांगी गई वित्तीय सहायता।	
4.	उधार देने वाले बैंक का नाम।	
5.	क्या इसी परियोजना के लिए चीनी विकास निधि सहायता का लाभ उठाया गया है।	
6.	नई डिस्टीलरी/मौजूदा डिस्टिललेरी के विस्तार की स्थापना के बाद प्रचालन के प्रस्तावित दिन।	
7.	चीनी मिल में शीरे का उत्पादन, जहां प्रस्तावित डिस्टीलरी स्थापित की जानी है/विस्तार किया गया है (यदि समूह कंपनी है, तो कृपया इकाई-वार ब्यौरा दें)	
8.	नए संयंत्र की स्थापना/मौजूदा संयत्र के विस्तार हेतु प्रस्तावित हेतु समय सीमा।	
9.	इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख।	
10.	क्या प्रस्तावित नई डिस्टीलरी/मौजूदा डिस्टिललेरी के विस्तार के लिए संयंत्र और मशीनरी स्वदेशी स्रोत से खरीदी गई है (यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं)।	

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2020

S.O. 3136(E).—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018, which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E), No. S.O. 5219(E), No. S.O.47 (E), No. S.O. 4104(E) and No. S.O. 1523(E) dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 and 20.05.2020 respectively. Thereafter a new scheme namely "New Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" was notified on 08.03.2019.

And whereas, the Central Government has decided to further open a small window so that sugar mills which could not submit their applications under the earlier scheme, can apply under this Scheme;

Now, the Central Government, hereby notifies the following scheme namely- "New Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity-2020" –

(1) Objective of the Scheme –

Assistance under the scheme will be utilized by the sugar mills;

(i) For increasing ethanol production by enhancing the number of working days of existing distilleries in a year by installation of new incineration boilers or by adoption of any other method approved by the Central Pollution Control Board (CPCB) for Zero Liquid Discharge (ZLD) in a distillery.

(ii) For augmentation of ethanol production capacity by setting up of new distilleries attached with their sugar mills including expansion of the capacity of the existing distilleries attached with sugar mills.

(2) Eligibility:

(i) Existing distilleries attached with the sugar mills are eligible for assistance for increasing ethanol production by enhancing the number of working days in a year by installation of new incineration boilers or by adoption of any other method approved by the Central Pollution Control Board (CPCB) for Zero Liquid Discharge (ZLD) in a distillery.

(ii) All the sugar mills are eligible for assistance to set up new distilleries including expansion of the capacity of the existing distilleries attached with sugar mills.

(iii) Assistance shall not be available to sugar mills which have availed benefits under any other scheme of Central Government for the same project.

(3) Assistance under the Scheme :

(i) Interest subvention @ 6% per annum or 50% of rate of interest charged by banks/National Cooperative Development Corporation (NCDC)/ Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA), whichever is lower, on the loans to be extended by banks/NCDC/IREDA, shall be borne by the Central Government for five years

(ii) Interest subvention under the scheme in respect of 2(i) and 2 (ii) above shall be provided on loan amount sanctioned and disbursed in respect of each project based on the proposed capacity.”

(4) Submission of application :

The sugar mills which desire to achieve Zero Liquid Discharge in their distillery by installation of new incineration boilers or by adoption of any other method approved by the Central Pollution Control Board (CPCB) or to set up new distillery plant including expansion of the production capacity of the existing plant, would be required to submit an application-cum proposal in the prescribed Proforma (Annexure-I) to the Chief Director (sugar), Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution (DFPD), Krishi Bhawan, New Delhi within 30 days from the date of notification of the scheme. DFPD will scrutinize the applications on the following parameters:-

(a) Performance of ethanol supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme;

(b) Track record regarding payment of cane price dues of farmers;

(c) Timely filing of monthly on-line return in P-II (Proforma-II) as prescribed by the Directorate of Sugar and Vegetable Oils;

(d) Availability of molasses for the project;

(e) Status of SDF/LSPEF/Levy dues, etc;

(f) or any other parameter as deemed necessary to assess the viability of the project;

(5) Appraisal/Approval of applications:

DFPD will constitute two Committees viz. Screening Committee and Approval Committee. The proposals received under the Scheme would be placed before Screening Committee and Approval Committee and thereafter in-principle approval would be accorded by DFPD to the eligible applicants. The said Committees shall scrutinize the applications keeping in view the parameters as mentioned in para 4 above..

(6) Modalities of the Scheme:

(i) After scrutinizing the applications cum proposals, DFPD will accord it’s in principle approval and recommends such approved proposals to the lending banks for considering sanction of loan. Banks/NCDC/IREDA would be at liberty to sanction/release the loan as per their commercial norms/policies and in compliance with regulatory guidelines, including the restructuring guidelines, as notified by RBI from time to time.

(ii) The applicant should get the loan disbursed from the bank within one year from the date of in principle approval of DFPD, failing which the in principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within two years from the date of disbursement of first installment of loan from bank.

(iii) While implementing their respective projects, the sugar mills shall strive to seek convergence with the Make in India scheme of the Government for capacity addition/ up-gradation in ethanol production.

(iv) The disbursement of loan under the scheme shall be in a separate account so that the utilization of the money for the said purpose is easily monitored.

(v) The Department of Financial Services (DFS) will issue suitable instructions to the banks/NCDC/IREDA to operationalize the scheme including appointment of NABARD as a nodal bank.

(7) Modalities of payment of interest subvention

(i) Payment of interest subvention on loan amount under the scheme will be limited to only 5 years including one year moratorium period.

(ii) The benefit of interest subvention will be provided by the Government only if a sugar mill account is Standard and will not be available as long as account is NPA. The sugar mill will be responsible for repayment of interest including penal interest for the period of default along with the principal. Further, banks will be free to take necessary action against the defaulting borrowers as per banking norms and applicable regulatory guidelines.

(iii) In the event of surplus cash flow with the sugar mills, accelerated payments may be decided by the bank/NCDC/IREDA and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced.

(iv) The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on quarterly basis in advance to the nodal bank as appointed by DFS. The interest earned on the interest subvention paid in advance shall be adjusted in the next quarterly installment.

(v) DFPD will work out the modalities of release of Interest Subvention in consultation with NABARD.

(8) Project Completion Certificate-

The concerned distilleries attached with sugar mills shall submit a certificate duly verified by the Central Pollution Control Board certifying that zero liquid discharge has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Sugar mills availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit a certificate duly verified by the Excise Commissioner of the State concerned and the Chartered Engineer certifying respectively that the new distillery has commenced production and has been installed or expansion of the existing distillery has been completed and enhanced production of ethanol has commenced. Any failure to submit such certificates shall lead to non reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(9) Utilization Certificate:

The concerned sugar mills shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount within three months of the completion of the project, duly verified by the respective sugar/cane commissioners certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. The state/cane commissioner shall also monitor the utilization of the loan. Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(10) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing modify any of the provisions of this Scheme.

[F. No. 1(10)/2018-SP-I]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

APPLICATION FROM THE SUGAR FACTORY FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR INSTALLATION OF NEW INCINERATION BOILER OR ADOPTION OF ANY OTHER METHOD APPROVED BY CPCB FOR ZERO LIQUID DISCHARGE IN THE EXISTING DISTILLERY OR SETTING UP OF NEW DISTILLERY OR EXPANSION OF EXISTING DISTILLERY FOR ETHANOL PRODUCTION.

A. **Brief details of the sugar factory**

1	Name of the sugar factory/undertaking /society/company	
2	Short name & plant code of the factory	
3	Installed crushing capacity of the factory	
4	Date of commencement of sugar production in the sugar factory	
5	Production capacity of the existing distillery attached with sugar mill, if any	
6	Does the undertaking has any other sugar factory (indicate short name and capacity of other group factories)	
7	Performance of ethanol supply during current and last two ethanol years under Ethanol Blended with Petrol Programme (EBP):	
	(i) Quantity of ethanol indented by OMCs (year-wise)	
	(ii) Quantity of ethanol supplied against indented quantity (year-wise).	
8	Performance of cane price payment :	
	(i) Total cane price payable against purchase of cane during 2019-20 SS. (ii) Total cane price paid against cane purchased in 2019-20 SS. (iii) Pending cane arrears for 2019-20 SS and earlier seasons, if any (Please indicate arrear amount season-wise)	
9	Whether monthly Proforma P-II filed online (If yes, up to which month)	
10	Status of SDF/LSPEF outstanding dues, if any.	

B. **Information relating to existing distillery attached with the sugar mill for installation of incineration boiler or adoption of any other method approved by CPCB for ZLD in a distillery.**

1	Capacity of the proposed incineration boiler / details of any other method proposed for adoption as approved by CPCB for ZLD.	
2	Working pressure of the proposed boiler.	
3	Whether permission of CPCB has been obtained, if yes, number of operating days in a year for existing distillery.	
4	Financial assistance requested for installation of incineration boiler (including duties, surcharge & erection cost etc). Please indicate item wise breakup.	
5	Name of the leading bank.	
6	Whether SDF assistance has been availed for similar project.	

7	Proposed days of operation after installation of incineration boiler/adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD.	
8	Additional production of ethanol after installation of new incineration boiler/adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD.	
9	Production of molasses in the existing sugar mills of the group company (Please indicate unit-wise)	
10	Proposed time line for installation of new incineration boiler/adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD.	
11	Expected date of commencement of ethanol production after installation of incineration boiler/adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD.	
12	Whether proposed incineration boiler/equipments for adoption of any other method as approved by CPCB for ZLD are procured from indigenous source (if not, reasons for the same).	

C. **Information relating to setting-up of new distillery/expansion of existing distillery with the existing sugar mill**

1	Capacity of the proposed distillery in KLPD	
2	Whether the new distillery/expansion of the existing distillery is proposed to be installed with zero liquid discharge system	
3	Financial assistance requested for new distillery / expansion of the existing distillery project including basic price and applicable taxes etc.	
4	Name of the lending bank.	
5	Whether SDF assistance has been availed for similar project.	
6	Proposed days of operation on setting up of new distillery/expansion of the existing distillery..	
7	Production of molasses in the sugar mill where proposed distillery is to be set up (If group company, please indicate unit-wise)	
8	Proposed time line for installation of new plant / expansion of existing plant	
9	Expected date of commencement of ethanol production	
10	Whether proposed new distillery/plants and machineries for expansion of the existing distillery are procured from indigenous source (if not, reasons for the same).	

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA